CITY HOMES II

जयसिंहपुरा अजमेर रोड़, जयपुर

Builder & Developers

Auric

enriching lives, creating lifestyles

Land Owner

UNIMAXE

BuildEstate Pvt. Ltd.

A-47,Rathi Nagar Gopalpura By Pass,
Near Gajsinghpura,Jaipur-302018

Contact No- 0141-6001600, 8094005550

www.crossgraphicideas.com

ऑरिक इंफ्राटेक प्राईवेट लिमिटेड

बिल्डिंग न.1, 2nd फ्लोर, क्वीन्स हाउस, क्वीन्स रोड, विजय द्वार के पास, वैशाली नगर, जयपुर 302021

Email: mail@aurichomes.com, sales@aurichomes.com

Website: www.aurichomes.com

Mobile No: +91 9251 413 413 **Office No:** 0141-6471001 (3Lines)

LEGAL NOTE: The information contained herein cannot from part of any offer or contract. While every reasonable care has been taken in providing this information, the owner and their agents cannot be held responsibility for any inaccuracies, Illustration shown in the Application form are artist's impressions and serve only to give an approximate idea of the project. All impressions and plans are subject to amendments as may be required for the betterment of the project allowed within the laws.

Auric

enriching lives, creating lifestyles

UNIMAXE

BuildEstate Pvt. Ltd.

मुख्यमंत्री जनआवास योजना 2015

सबके लिए आवास

पंजीकरण योजना 2016

सिटी होम्स II

जयसिंहपुरा, अजमेर रोड़, जयपुर

ऑरिक इंफ्राटेक प्राईवेट लिमिटेड

आर्थिक रूप से कमजोर व अल्प आय वर्ग के लिए

मूल्य- 250/-

Auric
— enriching lives, creating lifestyles —

मुख्यमंत्री जन आवास योजना के अन्तर्गत फ्लैट लेने के लाभ :–

1. फ्लैट खरीदने के लिए एक साथ पैसे जुटाने की आवश्यकता नही होती, क्योकि लाभार्थी को बैंक से फाईनेन्स की सुविधा उपलब्ध है।
2. उक्त योजना के फ्लैटो में प्रधानमंत्री आवास योजना 2015 के अन्तर्गत ब्याज सब्सिडी (6,00,000/– रूपये तक के लोन पर) आपके लोन खाते में नेशनल हाऊसिंग बैंक द्वारा सीधे जमा की जायेगी।
3. उक्त योजना के फ्लैट खरीदने से आपके धन, समय व श्रम की बचत होती है। आपको निर्माण के लिये संसाधन जुटाने की आवश्यकता नही होती है।
4. कम्पनी द्वारा निर्मित फ्लैटों का डिजाइन अनुभवी वास्तुकारों द्वारा बनाया जाता है, तथा निर्माण अनुभवी अभियन्ताओं की देखरेख में बनाया जाता है, जिससें सभी आवश्यक सुविधाओं एवं वातावरण का ध्यान रखा जाता है।
5. कम्पनी के फ्लैट मंहगी प्राइम लोकेशन में होने के बावजूद उक्त योजना में सस्ते उपलब्ध कराये जाते है।
6. स्टाम्प ड्युटी की न्यूनतम् राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित है।

फार्म मिलने व जमा कराने का स्थानः–

ऑरिक इंफ्राटेक प्राईवेट लिमिटेड

कार्यालय : बिल्डिंग न.1, 2nd फ्लोर, क्वीन्स हाउस, क्वीन्स रोड,
विजय द्वार के पास, वैषाली नगर, जयपुर 302021 फोन न. 0141.6471001

CITY HOMES II

सिटी होम्स II
जयसिंहपुरा अजमेर रोड़, जयपुर

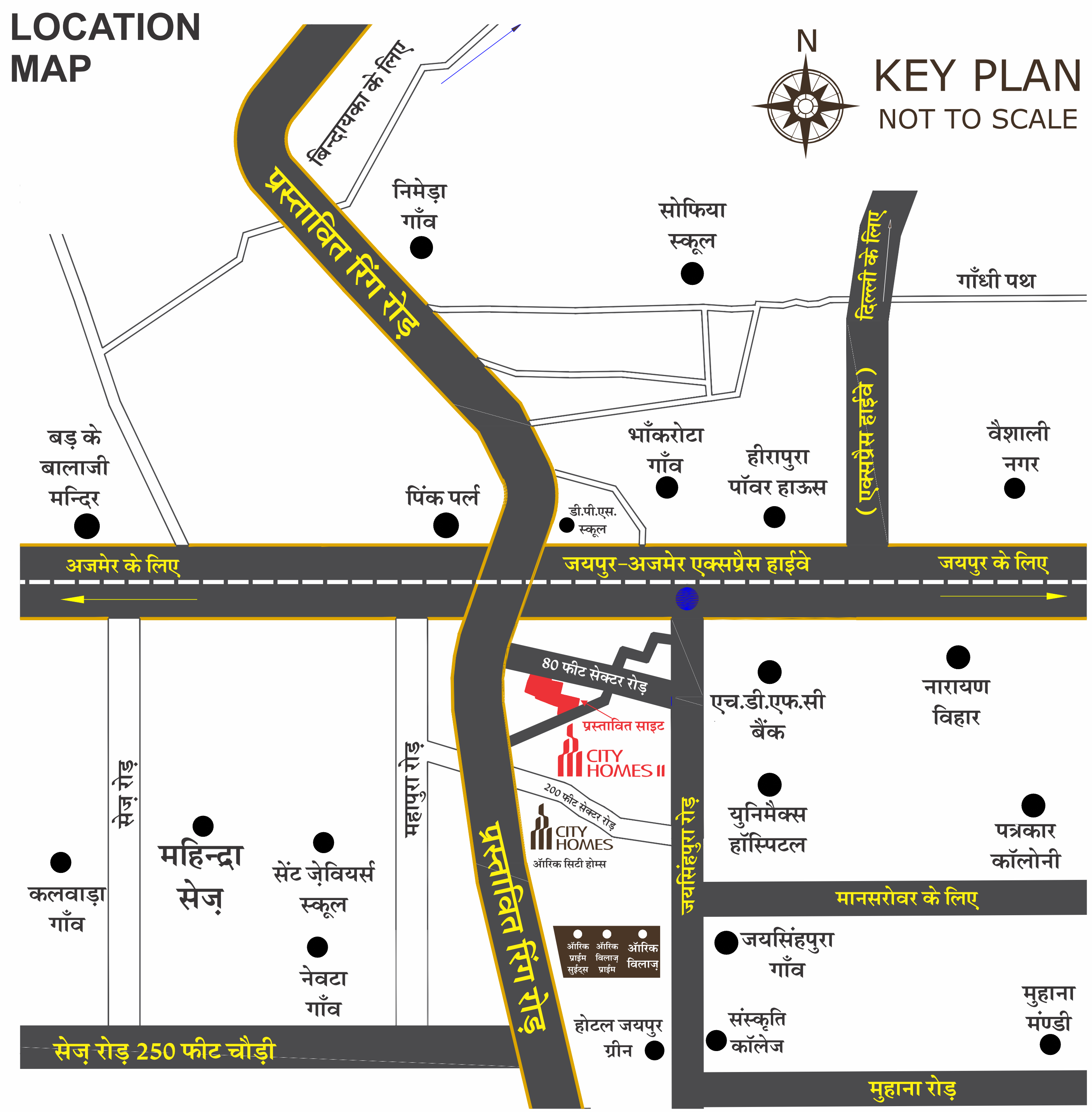

आवेदन क्रमांक ....

Auric
enriching lives, creating lifestyles

ऑरिक इंफ्राटेक प्रा. लि.

CIN No.: U45400HR2011PTC043416

पंजीयन योजना आर्थिक दृष्टि से कमजोर व अल्प आय वर्ग के फ्लैटों के लिये

मुख्य बिन्दु :-

1. जिस आय वर्ग के लिये आवेदन किया जा रहा है उसके अनुसार पंजीयन की पूर्ण राशि का बैंकर चैक / डी.डी. जो कि ऑरिक इंफ्राटेक प्रा.लि. के पक्ष में जयपुर स्थित किसी भी बैंक में देय हो, आवेदन पत्र के साथ मय चालान की प्रति संलग्न कर दिया गया है। ☐
2. आय का प्रमाण पत्र / शपथ पत्र संलग्न कर दिया है। ☐
3. आवेदन पत्र पूर्ण भर दिया है जो भी सूचना मांगी गया है सभी पूर्ण कर दी है। ☐
4. प्रत्येक की पहचान के लिए आवश्यक दस्तावेज में आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाना पहचान कार्ड / ड्राईविंग लाईसेन्स / पेन कार्ड इत्यादि की प्रति लगा दी गई है। ☐
5. यह योजना मुख्यमंत्री आवास योजना – 2015 के अन्तर्गत है। अतः सभी नियम व शर्ते उक्त योजना के लागू होगें। ☐
6. ब्याज सब्सिडी केन्द्र सरकार द्वारा प्रयोजित है । जो कि नेशनल हाऊसिंग बैंक द्वारा ऋणी के ऋण खाते में सीधे जमा की जायेगी। ☐
7. बैंक स्टेटमेन्ट ☐
8. फोटो ☐

लोन एवं सब्सिडी

1. भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार के दिशा निर्देशानुसार ऋण आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और अल्प आय वर्ग (LIG) के लाभार्थी को बैंक से ऋण प्राप्ति पर 6.5 प्रतिशत की दर पर 15 वर्षो की अवधि के लिए अथवा ऋण अवधि के दौरान, इसमें जो कम हो, के लिए ब्याज सब्सिडी के पात्र होगें। ब्याज सब्सिडी का निवल वर्तमान मूल्य(एनपीवी) ऋण संस्था के माध्यम से अग्रिम रूप से लाभार्थी के ऋण खाते में जमा करा दी जायेगी।
2. केन्द्र सरकार द्वारा EWS/LIG के व्यक्तियों को दिये जाने वाले ऋण के अधिकतम् रूपये 6,00,00 /– पर ही ब्याज अनुदान देय होगा। रू. 6,00,000 /– से अधिक की ऋण राशि अनुदान रहित होगी।
3. ऋण आधारित सब्सिडी केन्द्र सरकार के द्वारा प्रायोजित है जिसके लिए कम्पनी का कोई दायित्व नही है।
4. ऋण आधारित सब्सिडी सीधे ऋणी के ऋण खाते में नेशनल हाऊसिंग बैंक के द्वारा प्रशित करने पर जमा हो जायेगी।
5. ऋण बैंक की शर्तो के अनुसार अधिकतम् 90 प्रतिशत तक मिल सकता है।
6. ऋण के लिए बैंक की शर्ते लागू होगी।

पंजीकरण की पात्रता एवं शर्ते

।। श्री ।।

मुख्यमंत्री जन आवास योजना - 2015 के अन्तर्गत पंजीकरण की पात्रता एवं शर्ते :-

1. आवेदक की आयु आवेदन भरने की तिथि को 18 वर्श से अधिक होगी चाहिए।

2. इस योजना के अन्तर्गत राजस्थान की मूल निवासी होना चाहिए, आवेदन के समय मूल निवास का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा या मूल निवास प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि उपलब्ध करानी होगी अन्यथा आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा।

   (1) यदि राजस्थान के निवासी के उचित प्राप्त नही होते है तो वो भारतीय नागरिक आवेदन कर सकते है जो कि पिछले 1 वर्श से अधिक से अधिक समय से उस शहर अथवा कस्बे में निवास कर रहा हो, जहाँ के लिए आवेदन किया है एवं आवेदनकर्ता को उसके लिए शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। राजस्थान निवासी को प्राथमिकता दी जायेगी।

3. इस योजना के अन्तर्गत राजस्थान सरकार के दिशा निर्देशानुसार लाभार्थी परिवार की वार्शिक आय निम्न प्रकार से हो :–EWS (Economically Weaker Section) Upto 1,50,000/- LIG (Lower Income Group) 1,50,000, to 3,00,000/-

4. आवेदकों की आय वर्ग निर्धारित के लिए आय की संगणना वित्तिय वर्श 2015–2016 की प्रमाणित वार्शिक सकल आय पर निर्भर होगी। आवेदक की कुल वार्शिक आय में पति / पत्नि तथा आश्रितों की कुल वार्शिक आय को सम्मिलित किया जायेगा। कुल आय में निम्नाकिंत स्त्रोतो से हुई आय सम्मिलित होगा।

(अ) स्वयं के लिए -

1. वेतन
2. विशेश वेतन
3. महँगाई भत्ता तथा अतिरिक्त महँगाई भत्ता।
4. शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता
5. गृह / सम्पत्ति / व्यापार से आय
6. विनियोग से ब्याज
7. कोई अन्य आय जो आयकर के प्रयोजनों हेतु आय के रूप में हो।

(ब) आवेदक की पत्नि/पति की आय उपरोक्तानुसार।
(स) आवेदक की आश्रित की आय उपरोक्तानुसार।

5. मुख्यमंत्री जन आवास योजना–2015 के अन्तर्गत आवेदक के पास लीज होल्ड या फ्री होल्ड स्वयं के, पत्नि के और किसी आश्रित सदस्य (अविवाहित बच्चों सहित) के नाम शहरी क्षेत्र में मकान या प्लाट न हो जिसका शपथ पत्र आंवटन के साथ देना होगा।

6. वार्शिक आय (पति / पत्नि / आश्रितो की आय) के आधार पर आंवटन हेतु पंजीकरण के लिए पात्रता एवं आय वर्ग नीचे तालिका में दर्शाई गई है।

क्र.स.	आय वर्ग	सकल वार्षिक आय रूपये में	आवेदन के समय जमा करवाये जाने वाला पंजीकरण राशि	कुल कीमत रुपये	फ्लेट निर्मित क्षेत्र (वर्गफुट) का लगभग	स्टाम्प चार्ज
1.	EWS	1,50,000 तक	30,000/-	6,96,500/-	350 (1 BHK)	50/- प्रतिफ्लेट
2.	LIG	1,50,001 से 3,00,000 तक	50,000/-	10,94,500/-	550 (2 BHK)	100/- प्रतिफ्लेट

पंजीकरण राशि लॉटरी में सफल होने पर फ्लेट की कीमत में समयोजित की जायेगी।

7. वेतनभोगी आवेदकों को अपने नियोक्ता का प्रमाणित आय प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। गैर–वेतनभोगी (स्व–रोजगार) आवेदकों को तहसीलदार / म्युनिस्पल / एसडीओ अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी अथवा स्व.सत्यापित शपथ पत्रा प्रस्तुत करना होगा।

8. शारीरिक रूप से विक्लांग आवेदकों को एवं वरिष्ठ नागरिक, आवेदक को भूतल एवं नीचे तल पर आवास में प्राथमिकता दी जायेगी।

9. इस योजना के अन्तर्गत पति अथवा पत्नि एवं आश्रितों मे से कोई एक व्यक्ति स्वतंत्र रूप से अथवा संयुक्त रूप से एक ही फ्लेट आंवटन की पात्रता रखेगा।

10. इस योजना के अन्तर्गत आंवटित मकान का कब्जा प्राप्त होने के 1 साल के भीतर आपको रहने आना होगा अन्यथा आवंटन निरस्त कर किसी अन्य को आंवटित कर दिया जायेगा।

11. कम्पनी द्वारा एक शहर में एक ही समय विभिन्न वृतो मे एक साथ योजनाएं आरम्भ करने पर कोई भी व्यक्ति सभी योजनाओं में आवेदन करने की पात्रता रखेगा, परन्तु एक से अधिक योजना में आरक्षित होने पर उसे किसी एक योजना में आवास प्राप्त करने का विकल्प आवश्यक रूप से देना होगा। आवेदक द्वारा उक्त तथ्य छिपाने पर यदि यह तथ्य जानकारी में आयेगा तो एक आवास स्वतः निरस्त योग्य होगा। जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। इस आशय का उल्लेख आवेदक को शपथ पत्र में भी करना अनिवार्य होगा।

12. प्रस्तावित योजना में किसी संस्था / कम्पनी / एल.एल.पी. के नाम से भरा गया आवेदन पत्र स्वीकार नही किया जायेगा।

13. आवेदको को यदि समूह में (ठनसा ठववापदह) आवासों की मांग है, आवासो की उपलब्धि के अनुसार समूह में आंवटन किया जा सकेगा।

14. यदि कोई पूर्व पंजीकृत आवेदक जिसे कम्पनी द्वारा आवेदन की तिथि तक आवास का आवंटन नही किया है और यदि वह इस योजना में आदेवन करता है तो उसकी पूर्व निर्धारित वरीयता के आधार पर आवास आवंटन में प्राथमिकता दी जायेगी। इस बाबत आवेदक अपने पूर्व पंजीकरण एवं वरीयता क्रमांक का उल्लेख आवेदन फार्म में करेगा तथा शपथ पत्र भी प्रस्तुत करेगा कि उसका पूर्व पंजीकरण निरस्त नही किया गया है तथा नही उसे कोई आवास आवंटित किया गया है।

15. यदि वर्तमान एवं कालान्तर में आवेदन के द्वारा दिये गये दस्तावेज/सूचनाएँ गलत, झूठी अथवा असत्य पाई जाती है तो उस आवेदक का पंजीकरण/आंवटन तथा उसके क्रम में की गई समस्त कार्यवाही, बिना कोई कारण बताए नोटिस जारी कर निरस्त कर दी जावेगी तथा कम्पनी के प्रचलित नियमानुसार कटौती करते हुये राशि लौटा दी जायेगी।

16. आवासीय इकाई से सम्बन्धित सामान्य क्षेत्रों के उपयोग, मरम्मत, देखभाल तथा सम्मिलित सेवाओं जैसे जीना (स्टेयर केस) अहाते की दीवार, बगीचे, पार्किंग, सामुदायिक भवन एवं पानी, बिजली, सीवरेज, खुले स्थान इत्यादि के प्रयोग तथा रख रखाव के लिए प्रत्येक आवंटी को, आवंटियों को एक पंजीकृत संस्था (रजिस्टर्ड सोसायटी) का सदस्य होना अनिवार्य होगा। सोसायटी के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। इस बाबत आंवटन के समय आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग व अल्प आय वर्ग के लिए सोसायटी द्वारा निर्धारित राशि जमा करवानी होगी। जो कि सोसायटी के खाते में स्थानान्तरित की जायेगी भविष्य में सोसायटी द्वारा रखरखाव हेतु मांगी गई राशि आंवटी द्वारा जमा कराई जायेगी। रख रखाव का खर्चा सोसायटी के माध्यम से आंवटी द्वारा वहन किया जावेगा। इस आशय का शपथ पत्र देने पर ही आवंटी को आवास का कब्जा दिया जायेगा।

17. आवेदकों का वरियता एवं आवंटन की सूची कम्पनी के द्वारा जारी की जायेगी।

18. आवंटित आवास के कब्जा प्राप्त करने के समय रजिस्ट्री के लिए निम्नानुसार मुद्रांक देय होगा।
(अ) आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग फ्लेट के लिए 50रू प्रति फ्लैट
(ब) अल्प आयवर्ग के लिए 100 रू प्रति फ्लैट
(स) आवंटित आवास के सम्बन्ध में कम्पनी द्वारा निष्पादित विक्रय पत्र/लीज़ डीड के पंजीयन हेतु समस्त खर्चा आवंटी द्वारा आवास की कीमत के अतिरिक्त वहन किया जायेगा।

19. यदि आवेदक का पंजीकरण आवेदन पत्र में किसी कमी के कारण से कम्पनी द्वारा स्वीकार योग्य नही है तो आवेदन की जमा राशि रेखाकिंत चैक से स्वयं कम्पनी द्वारा कार्यालय से प्राप्त किया जा सकेगा या रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आवेदन पत्र में अंकित पते पर लौटा दी जायेगी। इस अवधि का कम्पनी द्वारा कौई ब्याज देय नही होगा तथा आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा।

20. इस योजना मे कुल प्राप्त आवेदन पत्रों मे से वर्गानुसार विकल्पानुसार प्रत्येक आय वर्ग में उपलब्ध आवासों की संख्या के बराबर सफल आवेदकों की लॉटरी द्वारा वरियता निर्धारित कर दी जायेगी। लॉटरी के पश्चात शेष असफल रहे आवेदको को उनकी जमा पंजीकरण राशि का रिफण्ड (बिना ब्याज) रेखाकिंत चैक से उनके आवेदन पत्र पर अंकित पते पर रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा भेज दिया जायेगा अथवा स्वयं कम्पनी द्वारा कार्यालय से प्राप्त किया जा सकेगा।

21. कम्पनी निर्धारित आवेदन प्राप्त होने के पश्चात पंजीयन स्वीकार न करने के लिए स्वतन्त्र है।

22. रिफण्ड :–

(1) आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात तथा वरीयता लॉटरी के आजायन के पूर्व यदि कोई आवेदनकर्ता योजना के तहत जमा कराई गई पंजीकरण राशि लौटाने का निवेदन करता है तो उसे पंजीकरण राशि मे से कटौती नही करते हुये पंजीकरण राशि बिना ब्याज के लौटा दी जायेगी।

(2) यदि आवेदक पूर्वग्रहण (मांग पत्र) राशि का पत्र जारी होने के पश्चात राशि लौटाने का निवेदन करता है। तो पंजीकरण राशि का 20 प्रतिशत कटौती करते हुये राशि बिना ब्याज के लौटा दी जायेगी।

(3) असफल आवेदक की राशि चैक द्वारा बिना ब्याज के लॉटरी के 30 दिन के भीतर रजिस्टर्ड डाक / कोरियर के द्वारा भेज दी जायेगी।

23. प्रस्तावित योजना यदि किन्हीं अपरिहार्य कारणों से चार माह में मूर्तरूप नही ले पाती है तो ऐसी स्थिति में आवेदकों को उनकी पंजीकरण राशि बिना ब्याज के लौटा दी जायेगी।

24. आवास आवंटन लॉटरी की सूची कम्पनी वेबसाइट के माध्यम से जारी की जायेगी। इसमें आवेदक द्वारा आरक्षण राशि की देय किश्तें जमा करवाकर चालान की प्रतियाँ कार्यक्रम की निर्धारित अवधि में कार्यालय में प्रस्तुत करने वाले आवेदकों को वरीयता क्रमानुसार आवंटन लॉटरी में सम्मिलित किया जायेगा।

25. आवेदक को लॉटरी द्वारा आवास आंवटित किये जाने के पश्चात आवास की देय बकाया राशि जमा कराने हेतु मांग पत्र द्वारा सूचित किया जावेगा। उक्त मांग राशि के 30 दिवस में जमा करानी होगी। राशि जमा नही कराने पर आवास स्वतः निरस्त हो जावेगा तथा नियमानुसार कटौती करते हुये शेष राशि बिना ब्याज के आवेदनकर्ता के पते पर रजि. डाक द्वारा / कोरियर के जरियें रेखांकित चेक द्वारा भेज दिया जायेगा। आवंटन निरस्त हो जाने की स्थिति में कम्पनी नियमानुसार ही आंवटन पुनः बहाल किया जा सकेगा।

26. इस योजना में आंवटी को सम्पत्ति पर केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं अन्य विधिक संस्था द्वारा मांगे जाने पर समस्त करों का भुगतान करना होगा जैसे आवास सम्पत्ति कर, नगर निगम कर, विकास कर इत्यादि। इसके अतिरिक्त योजना के निवासियों को पंजीकृत सोसायटी द्वारा निर्धारित नियम व शर्तो का पालन करना होगा, साथ ही सोसायटी द्वारा निर्धारित सदस्यता शुल्क व अन्य शुल्क आवंटी को वहन करने होगे।

27. यदि आवेदक, शपथ पत्र / आवेदन पत्र में कोई गलत सूचना देता है या कोई तथ्य छिपाता है तो उसका पंजीकरण तुरन्त रद्द कर दिया जायेगा। यदि आवास का आवंटन हो गया हो तो भी कम्पनी ऐसे आंवटन को रद्द करने तथा आवास का कब्जा वापस लेने के लिए सक्षम होगी। आवेदक की जमा राशियों मे से नियमानुसार कटौती करते हुये शेष बिना ब्याज के राशि लौटा दी जायेगी।

28. किसी नुकसान के होने से या वस्तुओं के चोरी हो जाने से बचने की दृष्टि से, निम्नांकित फिटिंग / फिक्सचर आदि का कार्य कम्पनी द्वारा आवंटी को कब्जा देने की वास्तविक तारीख से एक माह के भीतर पूर्ण कर दिया जायेगा।

1. विद्युत फिटिंग / फिक्सचर
2. सेनेटरी फिटिंग
3. अंतिम रंग रोगन यदि कब्जा देने से पूर्व नही की गई हो।

29. कम्पनी को प्रस्तावित योजना का ले आउट प्लान के अनुसार आवास का निर्माण करवाने तथा सम्बन्धित समस्त प्रकार के निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार होगा। किसी भी समय कम्पनी को अपनी पूर्ण योजना, डिजाइन इत्यादि में परिवर्तन / संशोधन/परिवर्द्वन करने का पूर्ण अधिकार होगा। कम्पनी का निर्णय अन्तिम होगा। कम्पनी द्वारा अपनी योजनाओं / आवासों में परिवर्तन / वरिर्वद्वन के परिणामस्वरूप यदि कोई अतिरिक्त कार्य करवाया जाता है तो ऐसा व्यय आंवटी को वहन करना होगा। विशेष परिस्थितियॉ उत्पन्न होने पर अथवा किन्ही अपरिहार्य कारणो से कम्पनी योजना में प्रस्तावित स्थान में फ्लैट नही देने की स्थित में उसी शहर के अन्य योजनओं में फ्लैट उपलब्ध करवाने के लिए कम्पनी स्वतन्त्र होगी तथा इस विषय में आवंटी को कोई विवाद स्वीकार्य नही होगा। आंवटित किये जाने वाले फ्लैट प्रस्तावित डिजाइन/स्पेसिफिकेशन/साईज आदि में परिवर्तन किये जाने का कम्पनी को पूर्ण अधिकार होगा।

30. पंजीकरण/आवंटन कम्पनी द्वारा बनाये गये नियमों/ आदेशो/ उप–बन्धो/परिपत्रों के तहत होगा। कम्पनी द्वारा बनाये गये अपने नियमों, आदेशो एवं परिपत्रो को बनाने/परिवर्तन करने के लिए पूर्णतः सक्षम होगी और ये पंजीकृत आवेदकों/आवंटियों के लिए पूर्णतया लागू होगे।

31. इस योजना में आवंटी को स्वयं सम्पत्ति की परिस्थितियों से पूर्णतः परिचित होना चाहिये और आगामी स्टेज पर सम्पत्ति की परिस्थितियों के सम्बन्ध में शिकायत करने, आपत्ति उठाने या मांग करने का अधिकार नही होगा।

32. पंजीकरण की राशि बैंक डी.डी./ बैंकर चैक के द्वारा जमा की जायेगी। बैंक डी.डी. / बैंकर चैक का पूर्ण विवरण अर्थात संख्या, दिनांक तथा सम्बन्धित बैंक जिसमें बैंक डी.डी./ बैंकर चैक प्राप्त किया गया है। चालान में निर्धारित स्थान पर अंकित किया जाये। बैंक डी.डी. / बैंकर चैक कम्पनी के पक्ष में देय होना आवश्यक है। आवेदन पत्र, संलग्न चालान, बैंक डी.डी. तथा वाछिंत दस्तावेजों सहित डाक या स्वयं के द्वारा बैंक /कम्पनी के कार्यालय में निर्धारित दिनांक तक आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा। निर्धारित तिथि के पश्चात पंजीकरण आवेदन फार्म स्वीकार नही किये जायेगें

33. (अ) आवेदक अपने पत्राचार के पते में परिवर्तन की सूचना कम्पनी के पते पर रजिस्र्ड डाक से देवे। पते में परिवर्तन की सूचना विधिवत सूचना नही देने के कारण अथवा आवेदन की गलती से पत्र आवेदन को प्राप्त नही होने की दशा में कम्पनी द्वारा कोई आपत्ति स्वीकार नही की जायेगी। पता परिवर्तन कराते समय वाछिंत दस्तावेजों की छायाप्रतियों के साथ पूर्ण आवेदन क्रमांक अवश्य लिखे। कम्पनी द्वारा पता परिवर्तन की स्वीकारोक्ति के पश्चात ही पता परिवर्तन मान्य होगा। अतः आवेदक को परामर्श है कि इस सम्बन्ध में कम्पनी से सूचना प्राप्त नही होने की स्थिति में संबन्धित कार्यालय से पता परिवर्तन किये जाने की लिखित में जानकारी प्राप्त कर लेवे।

(ब) आवेदक द्वारा ऐसे स्थान जहां सामान्य जन का प्रवेश वर्जित हो का पता अंकित करने की स्थिति में कम्पनी द्वारा जारी पत्राचार प्राप्ति में होने वाले विलम्ब अथवा पत्राचार प्राप्त नही होने के लिए कम्पनी उत्तरदायी नही होगी। ऐसी स्थिति में आवेदक को परामर्श है कि वह समय समय पर कम्पनी के सम्बन्धित कार्यालय के सम्पर्क में रहे तथा समाचार पत्रों द्वारा जानकारी प्राप्त कर लेवे।

34. वित्तिय सुविधाये :– कम्पनी से मकान लेने वाले आंवटी वित्तिय संस्थाओं से ऋण ले सकते है। इस बाबत कम्पनी द्वारा अनापत्ति प्रमाणपत्र / त्रिपक्षीय अनुबन्ध पत्र जारी किए जावेगें

35. आवेदक को आवेदन पत्र के साथ स्वयं एवं निवास के पते का प्रमाण पत्र तथा पेन कार्ड, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, मतदाता पहचान कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाईसेन्स, राशन कार्ड , बिजली, पानी, टेलिफोन बिल, बैंक पास बुक अथवा अन्य कोई मान्य फोटोयुक्त दस्तावेज मे से (वाछिंत दस्तावेजों की) एक एक स्व–हस्ताक्षरित/सत्यापित प्रति संलग्न करना होगा।

36. आवेदन पत्र में आवेदक द्वारा केवल पत्र व्यवहार का पता अंकित किया जाये तथा आवेदन पत्र की केवल उसी व्यक्ति के हस्ताक्षर होने चाहिये, जो इस योजना के अन्तर्गत आवास लेना चाहता है।

37. आवेदन पत्र में किसी विवरण को हटाने, या उसके उपर काटकर दुबारा लिखना निषेधित है। अतःआवेदनकर्ता को परामर्श है कि आवेदन पत्र को भरते समय पूर्ण सावधानी बरते तथा उपरोक्त स्थिति में आवेदक पूर्ण हस्ताक्षर करें।

38. कम्पनी द्वारा आवेदन पत्र स्वीकार करते समय समस्त आवेदको की पात्रता की जांच किया जाना सम्भव नही है। अतः मिथ्या कथन, तथ्यों का छुपाने अथवा कुटरचित दस्तावेजों के आधार पर कालान्तर में यदि आवेदक पंजीकरण हेतु अपात्र पाया जाता है, तो उस आवेदक का पंजीकरण आवेदन/ आवंटन उस क्रम में की गई समस्त कार्यवाही, बिना कोई कारण बताए अथवा बिना नोटिस जारी कर निरस्त कर दी जावेगी तथा कम्पनी के प्रचलित नियमों के अनुसार कटौती करते हुये शेष राशि लौटा दी जायेगी।

39. कम्पनी द्वारा समय समय पर मांगे गये शपथ पत्र / वचनबद्धता/अन्य आवेदन/अन्य प्रपत्र इत्यादि स्व हस्ताक्षरित हो एवं आवेदक द्वारा उन पर अपना नवीनतम् फोटो लगाते हुये या चिपकाते हुये उन्हे नियमानुसार राजपत्रित अधिकारी / नोटरी पब्लिक से सत्यापित कर प्रस्तुत करना होगा।

40. राज्य स्तरीय स्वीकृत एवं नियंत्रण कमेटी (State Level Sanctioning and Monitoring Committee) द्वारा समय समय पर लिये गये निर्णय मान्य होगे।

41. पंजीकरण राशि डी.डी. / बैंक चैक द्वारा ही स्वीकृत की जायेगी, किसी भी प्रकार का कोई नगद लेन देन नही होगा।

42. आवास केवल रिहायशी प्रयोजन हेतु ही आवंटी द्वारा उपयोग में लिया जायेगा। वाणिज्यक या अन्य प्रयोजन हेतु आवास का उपयोग नही किया जायेगा। ऐसा पाये जाने पर कम्पनी / सोसायटी को नियमानुसार कार्यवाही करने का अधिकार होगा।

43. कम्पनी द्वारा मुख्य बिल्डिंग में बिजली कनेक्शन हेतु पैनल लगाया जायेगा तथा बिजली कनेक्शन की लाईन पैनल तक लगाई जायेगी। आंवटी को आवास में बिजली कनेक्शन प्राप्त करने हेतु जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. द्वारा चाही गई राशि अलग से अदा करनी होगी।

44. कॉमन एरिया व लिफ्ट, पानी सुविधा हेतु एवं रख रखाव हेतु बिजली खर्चे की राशि भी कम्पनी / सोसायटी के नियमानुसार प्रत्येक आवंटी द्वारा अदा करनी आवश्यक होगी।

45. आवेदक द्वारा कम्पनी की प्रस्तावित योजना, सम्पति की मोके की स्थिति को मद्‌देनजर रखते हुये ही आवेदन किया गया है।

46. आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाल पत्र :–

(क) आय प्रमाण पत्र, एस.डी.ओ./ तहसीलदार / नगर निगम / नगर परिषद / नगरपालिका के समक्ष अधिकारी द्वारा सत्यापित देना होगा।

(ख) आवेदक के स्वयं का, पत्नि का, उनके आश्रित का राजस्थान के किसी शहर में आवास या भूखण्ड नही होने बाबत् शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा।

(ग) आवेदक को राजस्थान का मूल निवासी होने का बोनाफाईड प्रमाण पत्र

(घ) पहचान पत्र की सत्यापित प्रति।

(ण) आधार कार्ड की सत्यापित प्रति।

(च) देय राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट।

(छ) सोसायटी की देय राशि के लिए शपथ पत्र।

(ज) अन्य प्रमाण पत्र / शपथ पत्र जो भी हो।

47. प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री जन आवास योजना में आवेदन करने हेतु परिवार में महिला मुखिया या पुरूष मुखिया एवं महिला संयुक्त रूप से आवेदक होना अनिवार्य है अथवा माता व पत्नि का संयुक्त आवेदक होना अनिवार्य है। यदि परिवार में कोई महिला वयस्क सदस्य नही है तो पुरूष आवेदक हो सकता है।

48. रिफण्ड के लिए आवश्यक दस्तावेज :–

1. आवेदक का स्वयं का खाता एवं आइडी प्रूफ
2. जिस खाते से पंजीकरण राशि का चैक / डी.डी. दिया गया है। उनका स्टेटमेन्ट / पास बुक की फोटो प्रति।
3. (1) कम्पनी द्वारा दी गई राशि (पंजीकरण राशि के भुगतान की) (2) यदि आवेदक लॉटरी में नाम आने के बाद रिफण्ड लेता है, तो 20 प्रतिशत कटौती करते हुये उसे राशि लौटा दी जायेगी। उपरोक्त दस्तावेज के साथ उसे एक 50 रूपये के स्टाम्प पर शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

महत्वपूर्ण बिन्दु

1. कोई भी व्यक्ति को कम्पनी नगद लेने के लिए अधिकृत नही करती है। कृपया नगद लेन देन नही करें। ऐसे किसी भी लेन देन के लिए कम्पनी उत्तरदायी नही होगी।
2. आवास आंवटन/कब्जे के बाद आवास का रख रखाव स्वयं आंवटी द्वारा किया जायेगा।
3. योजना के तहत कोई भी न्यायिक विवाद जयपुर शहर की सीमा के अन्तर्गत ही होगे।
4. कम्पनी द्वारा निर्धारित विक्रय मूल्य के अलावा किसी भी व्यक्ति या प्रतिनिधि को अधिकृत नही करती अर्थात निर्धारित मूल्य के अलावा कोई प्रीमियम राशि किसी को न दे।
5. लॉटरी द्वारा जो भी फ्लैट आंवटित होगा उसे परिवर्तन नही किया जा सकेगा।
6. यह योजना मुख्यमंत्री जन आवास योजना के अन्तर्गत है। अतः राज्य सरकार द्वारा बनाये गये प्रावधान लागू होगे।

शपथ पत्र (1)

मै.. पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री .... जाति......................
..................................तहसील...................................... जिला .... में निवास करता/करती हूँ।

1. राज्य सरकार की ''मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015'' के अन्तर्गत ऑरिक इंफ्राटेक प्रा. लि. की आवासीय योजना को भलिभांति जानकर, पढ़कर मेरे द्वारा, आवेदन पत्र ....आय वर्ग आवास बहुमंजिला आवास हेतु भेजा जा रहा है। मै शपथ पत्र के माध्यम से स्वीकर करता/करती हूँ कि :–

2. पारदर्शिता के आधार पर कम्पनी .... द्वारा निकाली गई लॉटरी में योजना के किसी भी तल पर जो आवास मुझे आंवटित होगा, वह मुझे स्वीकार्य होगा।

3. मेरे / हमारे द्वारा पंजीकरण पुस्तिका में दी गई समस्त शर्तो का पालन किया जायेगा।

4. मेरे / हमारे द्वारा पंजीकरण पुस्तिका में आवास आवंटित होने पर विभिन्न चरणो में देय राशि उचित समय पर मेरे द्वार अदा की जायेगी।

5. मेरे / हमारे द्वारा अगर बैंक से ऋण राशि प्राप्त की जाती है। तो उसके विरूद्ध मेरे / हमारे आवास का प्रोविजनल आवंटन / आरक्षण / मूल आवंटन पत्र बैंक के पास गिरवी रखा जाता है। तो उसमें हमे किसी प्रकार की आपत्ति नही होगी।

6. यह कि मैने पंजीकरण, 2016 में .... आय वर्ग में आवास हेतु आवेदन पत्र संख्या .... के द्वारा आवेदन किया है।

7. यह कि मेरे द्वारा आवास आवंटन से सम्बन्धित योजना के नियमों का अध्ययन कर लिया गया है। एवं मेरे फ्लैट आवंटन करने के आवेदन मात्र से मुझे फ्लैट प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त नही होता है।

8. यह कि उक्त आवेदन पत्र के तहत पंजीकरण होने के पश्चात कम्पनी द्वारा समय समय पर आवास से सम्बन्धित मांग, मेरे द्वारा निर्धारित अवधि में जमा नही कराई जाती है तो कम्पनी को बिना सूचना दिये पंजीकरण / आवंटन निरस्त करने का अधिकार होगा।

9. यह है मेरे स्वयं की गलती के कारण कम्पनी द्वारा उक्त पंजीकरण/आवंटन निरस्त किया जाता है तो उसके लिए मै स्वयं जिम्मेदार रहूँगा।

(आवेदक के हस्ताक्षर)

(नोटराइज्ड सत्यापन)

(शपथ पत्र 50/– रूपये के नान ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर पर होना चाहिये तथा हस्ताक्षर नोटरी पब्लिक अथवा प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित होना चाहिए)

सभी आवेदकों के लिए

शपथ पत्र (2)

मैं .... पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री .... सशपथ प्रमाण करता/करती हूँ किः—

1. मैं भारत का/ की नागरिक हूँ।

2. मेरे स्वयं अथवा पत्नि /पति या मुझ पर आश्रित सम्बन्धि के पास राजस्थान में फ्री होल्ड अथवा लीज होल्ड किसी भी प्रकार का पूर्ण या आंशिक फ्लैट/भूखण्ड नही है।

3. यह कि मेरा आवेदन स्वीकार होने पर मैं आरिक इंफ्राटेक प्रा. लि. जयपुर द्वारा समय समय पर मांगी की गई राशियां जमा नही करता हूँ तो कम्पनी बिना किसी सूचना के मेरा पंजीकरण/आवंटन निरस्त करने के लिए स्वतन्त्र होगी, जिसके लिए मै स्वयं जिम्मेदार रहूँगा।

4. यह कि मेरे द्वारा उपरोक्त प्रस्तुत कथन तथा आवेदन पत्र में दिये तथ्यो में किसी मिथ्या कथन नही किया गया है तथा ना ही कोई तथ्य छिपाया गया है, ना ही किसी प्रकार का छल या कपट किया गया है।भविष्य में ऐसी कोई बात कम्पनी के संज्ञान में आती है तो आवेदन पत्र / आवंटन पत्र को निरस्त करने के साथ मेरे विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करने के लिए कम्पनी स्वतंत्र होगी।

5. यह कि मेरे द्वारा .... स्थिति कम्पनी की .... योजना मे भी आवेदन किया गया है। यदि उक्त योजना में भी आरक्षित कर लिया जाता है तो मैं किसी भी एक योजना में ही आरक्षित की पात्रता रखुंगा तथा दूसरी योजना का रिफण्ड स्वतः ही प्राप्त कर लूंगा।

हस्ताक्षर शपथ ग्रहिता

सत्यापन

मैं .... पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री .... निवासी .... सत्यापित करता / करता हूँ कि उपरोक्त पेरा 1 से 5 में जो तथ्य प्रस्तुत किये गये है, वे मेरे निजी जानकारी में पूर्णतया सत्य है, मैने कोई तथ्य छिपाया नही है। ईश्वर मेरा सहायक है।

शपथ ग्रहिता हस्ताक्षर / निशानी अंगूठा

(नोटराइज्ड सत्यापन)

(शपथ पत्र 50/— रूपये के नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर होना चाहिये तथा हस्ताक्षर नोटरी पब्लिक अथवा प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित होना चाहिए)

गैर वेतन भोगी आवेदकों के लिए आय प्रमाण पत्र हेतु

शपथ — पत्र (3)

मै.. पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री .... आयु .... वर्ष .... जाति... निवासी.. सशपथ बयान करता/करती हूँ :—

1. यह कि मेरे परिवार की वर्ष 2015—16 में वार्षिक आय समस्त स्त्रोतो से निम्न प्रकार थी :—

(अ) स्वयं की आय, व्यापार, उद्योग, एजेन्सी, कृषि, दुकान या अन्य स्त्रोतो से वार्षिक आय .... रूपये थी।

(ब) मेरे पति/पत्नि/अवयस्क पुत्र/पुत्री/दत्तक पुत्र/दत्तक पुत्री की व्यापार, उद्योग, एजेन्सी, दुकान अथवा कृषि एवं अन्य स्त्रोतो से वार्षिक आय .... रूपये थी।

(स) यह कि वित्तिय वर्ष 2015—16 में परिवार की कुल आमदनी .... रूपये थी।

हस्ताक्षर शपथ ग्रहिता हस्ताक्षर / निशानी अंगुठा

सत्यापन

मै... पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री .... निवासी.. सत्यनिष्ठा से सत्यापित करता/करती हूँ कि उपरोक्त तथ्य मेरी सम्पूर्ण जानकारी के अनुसार सत्य है तथा मैने कोई तथ्य छिपाया नही है। ईश्वर मेरा सहायक है।

शपथ ग्रहिता हस्ताक्षर / निशानी अंगूठा

(शपथ पत्र 50/— रूपये के नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर होना चाहिये तथा हस्ताक्षर नोटरी पब्लिक अथवा प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित होना चाहिए)

एस.डी.ओ. / तहसीलदार

सत्यापित

वेतनभोगी आवेदकों के लिए आय प्रमाण — पत्र (4)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमति ....

पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री .... इस विभाग / उपक्रम/कम्पनी/संस्था (विभाग/संस्था का नाम) में .... (पद का नाम) पद पर कार्यरत है एवं ये (केन्द्र सरकार/ राजस्थान सरकार के उपक्रम /प्राईवेट सेक्टर के) नियमित कर्मचारी है इनकी सकल वार्षिक आय वित्तिय वर्ष 2016—16 में .... रूपये है।

विभागध्यक्ष के हस्ताक्षर मय मोहर

विभाग / उपक्रम /कम्पनी / संस्थान का नाम

आवेदन क्रमांक ACH.............

ऑरिक इंफ्राटेक प्राईवेट लिमिटेड

बिल्डिंग नं. 1, द्वितीय तल, क्वीन्स हाउस, क्वीन्स रोड़, विजयद्वार के पास, वैशाली नगर, जयपुर-302021

मुख्यमंत्री जन आवास योजना – 2015

आवेदन पत्र

प्रोजेक्ट व शहर का नाम : सिटी होम्स–II, अजमेर रोड़, जयपुर।

1 आवेदक का फोटो	2 आवेदक का फोटो

1. आवेदक / आवेदिका का नाम (अंग्रेजी में)...............................
   आवेदक / आवेदिका का नाम (हिन्दी में)...............................
   पिता / पति का नाम ....
   जन्मतिथि...............................राष्ट्रीयता ....मोबाईल नम्बर ....
   पत्र व्यवहार का पता...............................
   ....पिनकोड नम्बर ....
   स्थायी पता...............................
   ....पिनकोड नम्बर ....
   आधार कार्ड संख्या / भामाशाह कार्ड / युनिक पहचान – पत्र संख्या / मतदाता परिचय पत्र / ड्राईविंग लाईसेन्स...............................
2. संयुक्त आवेदक / आवेदिका का नाम (अंग्रेजी में)...............................
   संयुक्त आवेदक / आवेदिका का नाम (हिन्दी में)...............................
   पिता / पति का नाम ....
   जन्मतिथि...............................राष्ट्रीयता ....मोबाईल नम्बर ....
   पत्र व्यवहार का पता...............................
   ....पिनकोड नम्बर ....
   स्थायी पता...............................
   ....पिनकोड नम्बर ....
   आधार कार्ड संख्या / भामाशाह कार्ड / युनिक पहचान – पत्र संख्या / मतदाता परिचय पत्र / ड्राईविंग लाईसेन्स...............................
3. व्यवसाय का स्वरूप ....
4. आवेदक / आवेदिका की कुल वार्षिक आय (वित्तिय वर्ष 2015–16)
   1. स्वयं की ....
   2. पति / पत्नि की ....
   3. आश्रित की ....
   4. अन्य स्त्रोतो की ....
   5. कुल आय ....
5. पंजीकरण हेतु मकान की श्रेणी ( ) अंकित करें। EWS ☐ LIG ☐
6. राशि जमा कराई गई बैंक का नाम .... शाखा............................... राशि. .... ड्राफ्ट संख्या .... दिनांक .... बैंक का नाम .... शाखा ....
7. आवेदक के बचत खाता संख्या .... बैंक का नाम .... शहर का नाम ....बैंक का आई.एफ.एस.सी. कोड............................... बैंक शाखा
   ....

   (जमा राशि लौटाने के प्रयोजन हेतु उक्त सूचना आवश्यक है।)

8. (1) विधवा (2) वरिष्ठ नागरिक (3) विकलांग / दिव्यांग यदि है तो (✓) का निशान लगाये।

9. सत्यनिष्ठा कथन (घोषणा)

(क) मै एतद्द्वारा घोषणा करता / करती हूँ कि उपरोक्त सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान में सही है और मेरे द्वारा कुछ भी छिपाया गया नही है।

(ख) मै एतद्द्वारा घोषणा करता / करती हूँ कि मैने इस आवेदन पत्र के साथ किये गये आवंटन के अनुबंधो एवं शर्तो को सावधानीपूर्वक पढ़ लिया तथा समझ लिया है और मै उनका पालन किये जाने के लिए सहमत हूँ।

(ग) मेरा या मेरे आश्रित का शहर क्षेत्र जिसमें आवंटन के लिए आवेदन कर रहा / रही हूँ मैं पूर्णतया अथवा भाग रूप में फ्री होल्ड या पट्टे के आधार पर प्लॉट या आवास नही है।

(घ) मेरी मृत्यु होने की दशा में निम्नलिखित व्यक्तियों को उत्तरधिकारी के नाम क्रम में निर्देशित करता / करती हूँ।

क्र.सं. नाम आयु सम्बन्ध

प्रथम..

द्वितीय..

2. आवेदन पत्र के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न करना सुनिश्चित करें।

(क) पंजीकरण शुल्क का बैंक ड्राफ्ट (ख) आय प्रमाण पत्र (ग) आवेदक का पहचान सम्बन्धि (राशनकार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस, पैनकार्ड, भामाशाह कार्ड, आधार कार्ड एवं अन्य फोटो युक्त पहचान पत्र)

(घ) मूल निवास प्रमाण पत्र (ण) अन्य प्रमाण पत्र – जो आपकी वर्ग (श्रेणी) के लिए आवश्यक हो।

शपथ पत्र हस्ताक्षर आवेदक

दिनांक

सत्यापित नाम..

(नोटेरी पब्लिक / राजपत्रित अधिकारी) पूर्ण पता..

मुहर के साथ ....

ऑरिक इंफ्राटेक प्राईवेट लिमिटेड

आवेदन क्रमांक ACH....................

कम्पनी द्वारा भरने हेतु

वरीयता संख्या..

संलग्न दस्तावेज की सूची :–

1. पंजीकरण शुल्क का बैंक ड्राफ्ट
2. आय प्रमाण पत्र
3. आवेदक का पहचान सम्बन्धी (राषन कार्ड ड्राईविंग लाईसेंस पैनकार्ड भामाशाह कार्ड आधार कार्ड अन्य फोटो युक्त पहचान पत्र
4. मूल निवास प्रमाण पत्र
5. अन्य प्रमाण पत्र जो आपकी वर्ग (श्रेणी) के लिए आवश्यक हो।
6. शपथ पत्र क्र.–1. शपथ पत्र क्र.–2. शपथ पत्र क्र.–3 / 4

हस्ताक्षर हस्ताक्षर

आवेदन निरीक्षक आवेदन प्राप्तकर्ता

आवेदन नं.

ऑरिक इंफ्राटेक प्राईवेट लिमिटेड

CIN No. U4500HR2011PTC043416

मुख्यमंत्री जन आवास योजना - 2015

(प्रथम प्रति)

(यह प्रति बैंक द्वारा रख ली जायेगी)

योजना का नाम : सीटी होम्स-।। शहर का नाम : जयपुर

आय वर्ग ....

1. आवेदक/आवेदिका का नाम..
   ....
2. पत्र व्यवहार का पता...
   ....
3. बैंक डी.डी./बैंकर चैक नम्बर...
4. बैंक का नाम..
5. दिनांक ....
6. पंजीकण राशि अंका में...
7. शब्दों..
   ....

आवेदक के हस्ताक्षर

दिनांक:

स्थान:

उपरोक्त रकम प्राप्त की..

खजांची/लेखाकार

आवेदन नं.

ऑरिक इंफ्राटेक प्राईवेट लिमिटेड

CIN No. U4500HR2011PTC043416

मुख्यमंत्री जन आवास योजना - 2015

(द्वितीय प्रति)

(यह प्रति बैंक द्वारा कम्पनी को देय हेतु)

योजना का नाम : सीटी होम्स-।। शहर का नाम : जयपुर

आय वर्ग ....

1. आवेदक/आवेदिका का नाम..
   ....
2. पत्र व्यवहार का पता...
   ....
3. बैंक डी.डी./बैंकर चैक नम्बर...
4. बैंक का नाम..
5. दिनांक ....
6. पंजीकण राशि अंका में...
7. शब्दों..
   ....

आवेदक के हस्ताक्षर

दिनांक:

स्थान:

उपरोक्त रकम प्राप्त की..

खजांची/लेखाकार

आवेदन नं.

ऑरिक इंफ्राटेक प्राईवेट लिमिटेड

CIN No. U4500HR2011PTC043416

मुख्यमंत्री जन आवास योजना - 2015

(तृतीय प्रति)

(यह प्रति बैंक द्वारा कम्पनी के आवेदन पत्र के साथ संलग्न हेतु)

योजना का नाम : सीटी होम्स-।। शहर का नाम : जयपुर

आय वर्ग ....

1. आवेदक/आवेदिका का नाम..
   ....
2. पत्र व्यवहार का पता...
   ....
3. बैंक डी.डी./बैंकर चैक नम्बर...
4. बैंक का नाम..
5. दिनांक ....
6. पंजीकण राशि अंका में...
7. शब्दों..
   ....

आवेदक के हस्ताक्षर

दिनांक:

स्थान:

उपरोक्त रकम प्राप्त की..

खजांची/लेखाकार

आवेदन नं.

ऑरिक इंफ्राटेक प्राईवेट लिमिटेड

CIN No. U4500HR2011PTC043416

मुख्यमंत्री जन आवास योजना - 2015

(चतुर्थ प्रति)

(यह प्रति बैंक द्वारा प्रार्थी को देने हेतु)

योजना का नाम : सीटी होम्स-।। शहर का नाम : जयपुर

आय वर्ग ....

1. आवेदक/आवेदिका का नाम..
   ....
2. पत्र व्यवहार का पता...
   ....
3. बैंक डी.डी./बैंकर चैक नम्बर...
4. बैंक का नाम..
5. दिनांक ....
6. पंजीकण राशि अंका में...
7. शब्दों..
   ....

आवेदक के हस्ताक्षर

दिनांक:

स्थान:

उपरोक्त रकम प्राप्त की..

खजांची/लेखाकार

परीक्षण सूची /Check List

	वेतनभोगी/ Salaried	गैर वेतनभोगी/ Self Employed
फोटो	आवेदक के लिए 2 और संयुक्त आवेदक के लिए 2	आवेदक के लिए 2 और संयुक्त आवेदक के लिए 2
प्रमाण पत्र	पैन कार्ड ☐ आधार कार्ड ☐ मतदाता पहचान पत्र ☐	पैन कार्ड ☐ आधार कार्ड ☐ मतदाता पहचान पत्र ☐
एड्रैस प्रूफ	आधार कार्ड ☐ ड्राईविंग लाईसेंस ☐ मतदाता पहचान पत्र ☐	आधार कार्ड ☐ ड्राईविंग लाईसेंस ☐ मतदाता पहचान पत्र ☐
फॉर्म 60	पैन कार्ड न होने की अवस्था में ☐	पैन कार्ड न होने की अवस्था में ☐
आय प्रमाण पत्र	3 महीने की सैलरी स्लिप/फॉर्म 16 और आईटीआर (ITR)	3 साल की आईटीआर (ITR)
बैंक स्टेटमैन्ट	बचत खाते का 6 महीने का बैंक स्टेटमैन्ट ☐	बचत और चालू खाते का 6 महीने का बैंक स्टेटमैन्ट ☐
शपथ पत्र	आय का ब्यौरा	आय का ब्यौरा